न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./149/2025/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट्स
पूराराम पुत्र खानूराम, उम्र 80 वर्ष, जाति जाट, निवासी कानोड़, तहसील गिडा, जिला बालोतरा।		1. पूनमपुरी पुत्र केशपुरी, उम्र 35 वर्ष, जाति स्वामी, निवासी कानोड़, तहसील गिडा, जिला बालोतरा। 2. श्रीमान तहसीलदार, गिडा, जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 177/2024 बउनवान पूनमपुरी बनाम पूराराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.09.2025 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः–

1. वकील श्री सुनील के. मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री केसराराम विश्नोई रेस्पो. संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–12.11.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी जो कि सरहद गौजा खरथाणियों का तला, पटवार हल्का कानोड़, तहसील गिडा के खसरा संख्या 101 में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थी/अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 864/97 की भूमि जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिससे अपीलांट के हितों का कुठाराघात हुआ, जिसके व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा खरथाणियों का तला, पटवार हल्का कानोड़, तहसील गिडा के खसरा संख्या 101 में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थी/अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 864/97 की भूमि जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि अनुसार प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में तलब मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2024 द्वारा अपीलांट के वर्तमान खेत खसरा संख्या 870/864 रकबा 6.2079 हेक्टेयर में से रास्ता प्रस्तावित किया गया था। इस मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी इसका हस्तगत मौका रिपोर्ट में वर्णन नहीं किया, इसलिए अपीलांट द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपति दर्ज करायी गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुबारा मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2025 तलब की गई, जिसमें हस्तगत प्रकरण के खसरा संख्या 98 में से निकटतम रास्ता होने से इस रास्ते को प्रस्तावित किया गया। विधि अनुसार उक्त द्वितीय मौका रिपोर्ट अनुसार ही रास्ते का आदेश किया जाना था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत द्वितीय मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश नहीं देते हुए पूर्व में प्राप्त प्रथम मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि संगत नहीं है। क्योंकि प्रथम मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी उक्त रास्ते का मौका रिपोर्ट में अंकन नहीं किया गया था इसलिए अपीलांट द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर आपति दर्ज करायी गई थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार फरमाया जाकर दुबारा से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी। जिसको अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 101 के समस्त रेकार्डेड खातेदार को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है, जिससे पक्षकार के कुसंयोजन के आधार पर अपीलाधीन प्रार्थना–पत्र चलने योग्य ही नहीं था।, पक्षकारान के कुसंयोजन के आधार पर अपीलाधीन आदेश विधि बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त खसरा संख्या 101 का बंटवारा नहीं हो रखा है अपीलाधीन आदेशित रास्ते से उक्त खसरे को कहां से जोड़ा जाए इस संबंध में प्रार्थी/रेस्पों. द्वारा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि के विहित प्रावधानों से परे जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई थी रेस्पों./प्रार्थी को नाजायज फायदा पहुंचाने के इरादे से मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसको आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर रास्ता नहीं है। यहा सें रेस्पों. संख्या 1 द्वारा कभी भी आवागमन नहीं किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ता जो निकटतम दूरी का होने के बाद भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए की मूल मंशा के विपरीत जाकर पारित किया गया है। उक्तानुसार समस्त कथनों एवं मौका रिपोर्ट से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
दौसा

स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई इस प्रथम मौका रिपोर्ट पर अपीलांट द्वारा आपति दर्ज करायी गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दुबारा मौका रिपोर्ट तलब की गई। उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए प्रथम मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी के हैं। अपीलांट द्वारा प्रथम मौका रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में पुनः मौका रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु निवेदन किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रथम मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते/अपीलाधीन आदेशित रास्ता ही सबसे निकटतम एवं सुविधा युक्त रास्ता बताया गया है। इसलिए अपीलांट के उक्त प्रश्न का कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन रास्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब द्वितीय मौका रिपोर्ट के तथ्यों पर बिना गौर किये ही पारित किया गया प्रतीत होता है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के मूल सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होता है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 177/2024 बउनवान पूनमपुरी बनाम पूराराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.09.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की जाता है कि बाबत् कटाण/चलायमान एवं निकटतम रास्ते संबंधित वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब कर वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करे तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

12/11/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/11/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर